

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाडमेर मगरा) प्राथमिक डिक्की
 पीठासन अधिकारी श्री हिम्मताराम मेहरा (आर.ए.एस.)
 अनवान

1 सवाईलाल पुत्र बाबुलाल
 2 मु. रामूदेवी पत्नी
 बाबुलाल, जाति माली
 निवासी हमीरपुरा बाडमेर
 तहसील व जिला बाडमेर।
 "वादी संख्या 01 अवयस्क
 जरिये कु. वलिया माता
 वादीनी संख्या 02 मु.
 श्रीमती रामूदेवी"

बनाम

1 चन्दनमल 2 मदनलाल पिसरान
 भंवरलाल 3 मदनलाल (मन्सुख) पुत्र
 मिश्रीमल 4 श्रीमती केंकू देवी बेवा मिश्रीमल
 5 देवाराम पुत्र कानाराम जाति माली
 निवासी बाडमेर मगरा तहसील व जिला
 बाडमेर 6 राजरथान राज्य प्रोद्योग
 तहसीलदार बाडमेर 7 लखराज 8 पवन
 पिसरान किशनलाल 9 मैनुदेवी पत्नी
 किशनलाल जाति माली निवासी नवजीवन
 हॉस्पिटल के पीछे सहारा ऑफिस के पास
 बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88,188,53, रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 37/2010

निर्णय दिनांक :- 28.06.2016

वादी की ओर से-..... व प्रतिवादी की ओर से-..... की
 उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.06.2016 को श्री हिम्मताराम मेहरा, उपखण्ड अधिकारी
 बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्की
 दी जाती है कि :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से रबीकार किया जाकर मौजा बाडमेर मगरा व
 खसरा संख्या 533 व 725 कुल रकबा 29.05 बीघा में वादीगण का 5/32 हिस्सा खातेदारी का
 घोषित किया जाता है।

तहसीलदार बाडमेर को मौके पर पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में पक्षकारान की
 कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड भूमि का विभाजन कर, लगान निर्धारित करने हेतु
 मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देश दिये जाते हैं कि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर एक
 माह में न्यायालय में प्रस्तुत करे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1000/- अक्षरे रूपय एक हजार निर्धारित
 की जाती है। शुल्क वादीगण द्वारा अदा की जावेगी। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



(हिम्मताराम मेहरा)
 पीठासन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
 कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
14. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
15. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
16. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
17. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तागील	
18. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
19. आदेशिका की तागील			
जोड			